न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 12/2024 तारीख रजूः– 10.06.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. रमेश पुत्र द्वारिका प्रसाद, जाति ब्राह्मण निवासी सोनपाल का पुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान। —————————— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.81 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि चारों ओर से डोल–मेड से महदूद है, लेकिन पुख्ता निशानात के अभाव में पडोसियों से आये दिन विवाद व तनाव की स्थिति बनी रहती है। जिसे टालने के आशय से प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 13.05.2024 को प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदारजी तहसील सूरौठ से उक्त भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया, तो श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत फरमाई है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई व समाअत का अधिकारी श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र पर निश्चित कोर्ट फीस पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0नं0 1002 रकबा 2.81 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने पत्रांक कोर्ट/2024/354 दिनांक 19.07.2024 से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के वाद संख्या 12/2024 उनवान रमेश बनाम सरकार में मुताबिक पटवारी हल्का धंधावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक ढिंढोरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है–

प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि दावा मद संख्या 01 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि दावा मद संख्या 02 कानूनी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि दावा मद संख्या 03 कानूनी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि दावा मद संख्या 04 कानूनी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं 5 में दर्ज किया है कि दावा मद संख्या 05 कानूनी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं 6 में दर्ज किया है कि ग्राम धंधावली के आ०ख०सं० 1002 रकबा 2.81 है० का पहले नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करके सीमाज्ञान होने के बाद ही सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.81 है0 किस्म गै0मु0 तलाई वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी रमेश पुत्र द्वारिका प्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण निवासी सोनपाल का पुरा खातेदार राहिन पूर्ण खाता अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1002 रकवा 2.81 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का खातेदार काश्तकार है किन्तु उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 तलाई है। प्रार्थी के द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति भी पेश नहीं की गई है तथा उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 तलाई होने से उक्त भूमि में पत्थरगढी कराया जाना सम्भव नहीं है यदि उक्त भूमि में पत्थरगढी करा दी गई तो वर्षा का पानी का पानी तलाई में कैसे आवेगा। इसलिए उक्त भूमि के बाबत् प्रार्थी को पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी आराजी खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)